राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 626 / 2023

वन्दना निमावत **—अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2023
आदेश की दिनांक : 03.02.2023

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला पर्यवेक्षक के पद पर पंचायत समिति, सांभर, जिला जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जालोर ग्रामीण किया गया है, जबकि अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी अन्य कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के पति आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर झालावाड़ जिले में कार्यरत हैं। अपीलार्थी अकेले परिवार में देखभाल करने वाली महिला है। फिर भी उसका स्थानान्तरण जयपुर जिले से जालोर जिले में कर दिया गया है। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुसार यदि पति—पत्नी दोनो राजकीय सेवा में कार्यरत हैं तो उनका स्थानान्तरण एक ही स्थान अथवा निकटस्थ स्थान पर किया जाना चाहिए। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त नीति का ध्यान नहीं रखा गया। आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन महिला पर्यवेक्षक के पद पर पंचायत समिति, सांभर, जिला जयपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the*

facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

जहां तक आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के विपरीत जारी किए जाने का प्रश्न है। हमारे विनम्र मत में आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण तहसील सांभर से जिला जालोर में किया गया है, जो कि शहरी क्षेत्र में आता है जबकि उक्त नियम शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित नहीं है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में हम कोई बल होना नहीं पाते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य